

कार्यालय आदेश सं. 94/2018

महाप्रबन्धक (कार्मिक) गोरखपुर के कार्यालय आदेश सं. 22 पृ.स.- का/210/10- रिडिप्लायमेंट/ आब्जर्वेशन/मेडि0(1)गोरखपुर दिनांक-01.02.2018 द्वारा डॉ.ज्ञानेन्द्र मोहन, अमुचिधि/कैंसर संस्थान/वाराणसी का स्थानांतरण स्वयं के अनुरोध पर डीरेका/वाराणसी में रिक्त पद के विरुद्ध किया गया है, को तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है।


उक्त पर मंरेप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मंडल कार्मिक अधिकारी
वाराणसी
दिनांक- 16.02.2018

सं. का/191/राज /चि/ज्ञानेन्द्र मोहन /पीसी

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
2. वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
3. महाप्रबन्धक(कार्मिक)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
4. विसमुलेधि/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
5. मुपप्र/मुवाप्र/गोरखपुर।
6. चिकित्सा निदेशक/लनामिरेचि/गोरखपुर एवं डीरेका वाराणसी।
7. चिकित्सा निदेशक/मुचिधि/वाराणसी
8. उप मुकाधि(राज.)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
9. मरेप्र/अमरेप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
10. वमविप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
11. वमंकाधि/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
12. सभी शाखाधिकारी/वाराणसी मण्डल।
13. मंडल मंत्री/नरमू एवं अजा-अजजा एसो.।
14. सम्बन्धित अधिकारी।


16.02.18
कृते मण्डल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
वाराणसी